कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / यु0पीठ संशो0 / 671 / 2025, लखनऊ दिनांक–अप्रैल 17 .2025

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या 143 / 2025 दिनांक 09.04.2025 से अवगत कराया गया है कि पीठ अलीगढ में खण्ड पीठ हेतु कोई केस अवशेष नहीं है। ऐसी स्थिति में मुख्यालय के आदेश सं0 485 / 2025 दिनांक 19.03.2025 द्वारा अलीगढ में दिनांक 05.05.2025 से 07.05.2025 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

जनपद बरेली में न्यायिक सदस्य पीठ बरेली एवं सदस्य, पीठ मुरादाबाद की दिनांक 19.05.2025 से 23.05.2025 तक गठित युगल पीठ अपरिहार्य परिस्थितियों में निरस्त की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अपरिहार्य परिस्थितियों में, जनपद कानपुर में न्यायिक सदस्य, पीठ–1 प्रयागराज व सदस्य पीठ–2, लखनऊ की दिनांक 19.05.2025 से 23.05.2025 गठित युगल पीठ में सदस्य, पीठ–2, लखनऊ के स्थान सदस्य पीठ अयोध्या को नामित किया जाता है। साथ ही गाजियाबाद में दिनांक 19.05.2025 से 23.05.2025 तक न्यायिक सदस्य, पीठ–1, गाजियाबाद एवं सदस्य पीठ अयोध्या की गठित युगल पीठ में सदस्य, पीठ अयोध्या के स्थान पर सदस्य, पीठ–2, लखनऊ को नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय / अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह / –17.04.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ– अलीगढ, कानपुर पीठ–1, 2, 3 व 4, लखनऊ पीठ–2, पीठ बरेली, पीठ मुरादाबाद, [illegible] पीठ अयोध्या, पीठ–1, प्रयागराज।

2– मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर / वेव अधिकारी मुख्यालय।

3– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।